

(फॉर्म—XVIII)

अधिकारिक घोषणा पत्र का विहित प्रपत्र
(आवेदक द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र)

मैं पुत्र / पुत्री
श्री निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर
पोस्ट थाना प्रखण्ड
जिला राज्य एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ
कि मैं समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशान
मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.93 के
कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.) में निहित आदेश के अनुसार
रोवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा क्रमशः
ओ.बी.सी./पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है । मैं यह भी घोषणा
करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.93, 09.03.04 एवं 14.10.08 के उपर्युक्त संदर्भित
कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लेखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से
संबंधित नहीं हूँ ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता !

